

No. RT-16011/9/2019-T (Part)
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Transport Section)
Transport Bhawan, 1, New Delhi-110001

Dated the 01st July, 2025

To

The Chief Secretaries of all State Governments / Union Territories

Subject: Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025 -reg

Sir/ Madam,

Your kind attention is invited to the provision of Section 36 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 which provides for the amendment of section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988 relating to the Motor Vehicle Aggregator Guidelines. The amended provision provides that- **“while issuing the licence to an aggregator the State Government may follow guidelines as may be issued by the Central Government”**.

2. In 2020, the Ministry of Road Transport and Highways issued the “Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020” under Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988. The said guidelines provided a regulatory framework for State Governments to issue licences and regulate aggregators in the road transport sector.

3. Now, the Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020 have been revised to keep the regulatory framework up to date with the developments in the motor vehicles aggregator ecosystem. The new guidelines (Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025) attempt to provide a light-touch regulatory system while attending to issues of safety & security of the user and the welfare of the driver. A copy of the same, both in English and Hindi, is enclosed with this letter.

Yours faithfully,

Encl: As above

Kesang
01/07/2025
(Kesang Norbu Bhutia)
Deputy Secretary (Transport)
Tele: 011-23739080

Copy to:

1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Transport) of all State Government UTs for information and necessary action.
2. Technical Director, NIC, MoRTH for uploading on the website of the Ministry.



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

Ministry of Road Transport and Highways



Motor Vehicles Aggregator Guidelines

2025

Table of Contents

Preamble.....	2
Who this report might be relevant.....	3
Motor Vehicles Aggregator Guidelines 2025	4
1. Definitions.....	4
2. Applicability of the Guidelines	6
3. Designated Portal by the Central Government	6
4. Application for grant or renewal of Licence and matters connected therewith. 6	
5. Licence fee	7
6. Security Deposit	7
7. Validity of Licence, its renewal and matters connected therewith	7
8. Eligibility for obtaining a Licence	8
9. Conditions for Grant of Licence	8
10. Induction Training Programme	9
11. Compliances with regard to drivers	10
12. Permit	12
13. Compliances with regard to vehicles	12
14. Compliance with regard to Website, App and technology.....	13
15. Compliances to ensure safety of passengers.....	15
16. Non-discrimination policy to be followed by the aggregator	15
17. Regulation of Fare	15
18. Cancellation of Rides	16
19. Penalty	17
20. Sustainable Fleet Management by aggregators	17
21. Inclusion of Divyangjan Fleet	17
22. Conversion to Electric Mobility	17
23. Aggregation of non-transport motorcycles by aggregators.....	17
24. Suspension of aggregator Licence.....	18
25. Cancellation and Surrender of aggregator Licence	19
26. Appeal	20
27. Powers of the State Government	20
FORM I	21
FORM II	23
FORM III	25

Preamble

In 2020, the Ministry of Road Transport and Highways issued the “Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020” under Section 93 of the Motor Vehicles Act, 1988. The said Guidelines provided a regulatory framework for State Governments to issue licences and regulate aggregators in the road transport sector.

Since 2020, India’s shared mobility ecosystem has undergone rapid and significant change. The rise in demand for diverse and flexible mobility solutions including bike-sharing, introduction of electric vehicles (EVs), and auto-rickshaw rides, has widened the consumer base. As the travel preferences evolve, aggregators have expanded their services to meet these new demands through innovative models.

The Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020 have been revised to keep the regulatory framework up to date with the developments in the motor vehicles aggregator ecosystem. The new guidelines attempt to provide a light-touch regulatory system while attending to issues of safety & security of the user and the welfare of the driver.

State Governments may adopt these revised guidelines within three (3) months from date of their issue and may include provisions in addition to the ones specified herein.



Who this report might be relevant



Motor Vehicles Aggregator Guidelines 2025

1. Definitions

1.1 In these Guidelines, unless the context otherwise requires,-

- i) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988.
- ii) "Aggregator" shall have the meaning ascribed to it under sub section (1A) of Section 2 of the Act.
- iii) "App" means a digital application developed and maintained by an aggregator.
- iv) "Application fee" means the charges in respect of an application under Clause 4 of these guidelines.
- v) "Apportioned Fare" means such part of the fare as is retained by the aggregator.
- vi) "Competent Authority" means such authority of the State Government to issue licence under Section 93 of the Act.
- vii) "Contract" means the agreement between the aggregator and the driver specifying the rights and obligations of both parties for providing services to a passenger through the App of such aggregator.
- viii) "Designated Portal" means the portal established and notified as such under Clause 3 of these guidelines.
- ix) "Driver Fare" means such part of the fare payable by aggregator to the driver for the services rendered to the passenger through the App in undertaking a journey, including any cost of toll(s) and parking fee(s) paid by the driver.
- x) "Dynamic pricing" means the output of the fare algorithm of the fare of the aggregator, which raises the price of a journey when demand for trips exceeds supply of.
- xi) "Fare" means the total charges payable by the passenger to the driver or the aggregator, as the case may be, pursuant to the passenger availing the transportation services on the aggregator platform through the App for a journey, including the cost of toll(s), the tax(es) and parking fee(s), as may be applicable.
- xii) "Form" means a form appended to these guidelines.

- xiii) "Grievance Officer" means a person appointed by the aggregator for redressal of grievance of any passenger or driver.
- xiv) "Induction Training Programme" means the induction training program referred to in Clause (10) of these guidelines.
- xv) "Journey" means a trip whether undertaken or not, on a specified date and time from the place of departure, to the destination, and may include the type or class of the motor vehicle being used to undertake the travel plan.
- xvi) "Licence" means the licence issued to an aggregator under Section 93 of the Act.
- xvii) "Licence Fee" means the fee payable under Clause 5 of these guidelines.
- xviii) "On-Board" together with its grammatical variations, means the process of registering drivers and vehicles on the digital platform by the aggregator.
- xix) "Off-Board" together with its grammatical variations, means the process of deregistering the driver and vehicle on the digital platform by the aggregator.
- xx) "Passenger" means a person who uses the app of the aggregator to undertake a journey.
- xxi) "Rating" means an assessment of the quality of a journey undertaken by a passenger, basis the parameters specified by the aggregator.
- xxii) "Refresher Training Programme and Assessment" means a training session for drivers integrated with the aggregator, for a period of at least forty eight (48) hours and for a duration of 10 hours in one continuous session, delivered in-person and in virtual training sessions.
- xxiii) "Security Deposit" means the amount that is payable by an aggregator, to be submitted along with licence fee, furnished in the form of a bank guarantee or an insurance surety bond.

1.2 Words and expressions as defined and mentioned under these guidelines shall have the same meaning as ascribed under the Act.

2. Applicability of the Guidelines

- 2.1 The applicability of these guidelines extends to any aggregator operating within a State.
- 2.2 These guidelines shall not be applicable to entities that limit themselves to the provision of an interoperable network to aggregators licensed by the Competent Authority and do not directly undertake onboarding of drivers or motor vehicles or both.
- 2.3 These guidelines shall not be applicable to entities that are engaged in the sale of tickets for travel by public service vehicles.

3. Designated Portal by the Central Government

The Central Government shall develop and designate a portal to enable for single window clearance of application for licence as aggregator including receipt of appropriate application fee, license fee and security deposit:

Provided that till such time this portal is developed and operationalized, the State Governments shall process applications for license, in accordance with the extant guidelines.

4. Application for grant or renewal of Licence and matters connected therewith

- 4.1 An application for grant of Licence shall be made on the designated portal under clause 3 above, in Form I, by any person eligible under the criteria mentioned under clause 8 below. This application shall be accompanied by proof of online payment of an application fee, as may be determined by the State Government by way of a notification.
- 4.2 One application shall be made by an aggregator for all or any types or classes of motor vehicles on-boarded by it.
- 4.3 One licence shall be granted by the Competent Authority for issue of the Licence throughout the territorial jurisdiction of the State.
- 4.4 An application made under sub-clause (4.1) shall be decided by the Competent Authority within a period of ninety (90) days from the date of such application in Form I.
- 4.5 If the applicant does not comply with any of the conditions for grant of licence specified under these guidelines, as may be determined by the Competent Authority, he may reject such application with reasons to be recorded in writing after giving a hearing to the aggregator.

- 4.6 On being satisfied that the applicant has complied with all the conditions specified for grant of a licence under these guidelines, the Competent Authority shall direct the applicant to pay the appropriate licence fee and security deposit within a period of thirty (30) days.
- 4.7 On payment of the licence fee and security deposit, the Competent Authority shall grant a licence to the applicant in Form III appended to these guidelines, within the period of fifteen (15) days from the date of payment.
- 4.8 The licence issued by the Competent Authority under these guidelines shall be uploaded and updated by the Competent Authority on the designated portal.

5. Licence fee

The licence fee payable by the aggregator shall be as follows:

Sr. No.	Particulars	Amount in Rupees
1.	Grant of Licence to aggregator	5,00,000
2.	Renewal of Licence	25,000
3.	For noting change of address of the licensee	25,000

6. Security Deposit

The security deposit to be provided by the aggregator shall be as follows:

Sr. No.	Particulars	Amount in Rupees
1.	Up to 100 buses or 1000 other motor vehicles	10,00,000
2.	Up to 1000 buses or 10000 other motor vehicles	25,00,000
3.	More than 1000 buses or 10000 other motor vehicles	50,00,000

7. Validity of Licence, its renewal and matters connected therewith

- 7.1 A licence shall be valid for a period of five (5) years from the date of its issue.
- 7.2 Pursuant to an application in Form II, appended to these guidelines, a Licence may be renewed by the Competent Authority, for a period of five (05) years, subject to compliance with conditions for renewal. For the purposes of such renewal, the Competent Authority shall examine:
 - i) the aggregator's records of compliance with these guidelines, and

- ii) the punitive actions taken against the aggregator, in the State where application is made.

8. Eligibility for obtaining a Licence

- 8.1 The applicant shall be a company registered under the Companies Act, 2013 or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 or a co-operative society formed by an association of drivers or motor vehicle owners and registered under the Co-operative Societies Act, 1912.
- 8.2 The applicant shall comply with the applicable law, including but not limited to, the Act or rules and regulations made under the Act, the Digital Personal Data Protection Act, 2023, the Consumer Protection Act, 2019 and the Information Technology Act, 2000 and intermediary guidelines issued thereunder.

9. Conditions for Grant of Licence

An aggregator submitting an application for obtaining a licence shall ensure compliance with the following:

- 9.1 The aggregator shall conduct or cause to be conducted an Induction Training Programme as detailed under Clause 10 before on-boarding a driver and also for those drivers on-boarded prior to issuance of these guidelines.
- 9.2 The aggregator shall provide a written intimation of the commencement of services to the Competent Authority and the same shall be updated within a period of six (6) months from the date of grant of Licence, failing which the Licence may be cancelled by the Competent Authority.
- 9.3 Seventy two (72) hours prior to commencement of services, the aggregator shall intimate the competent authority, and the said intimation shall be uploaded on the designated portal by the competent authority.
- 9.4 The guidelines, if any, issued by the Central Government or the respective State Government in respect of health or public safety shall be followed by the aggregator and the on-boarded drivers.
- 9.5 The aggregator shall ensure a minimum amount of Rs. 5 Lakh as insurance for passenger.
- 9.6 The aggregator shall not prohibit or restrict the on-boarded drivers from operating with multiple aggregators.

- 9.7 The aggregator shall develop a mechanism in the App for both, the driver and the passenger, to rate the quality of overall experience of a journey.
- 9.8 The aggregator shall permit a motor vehicle with a valid contract carriage permit and willing to get on-boarded, to be on-boarded with the aggregator, subject to compliance with the relevant clauses of these guidelines.
- 9.9 The aggregator should not have had its license cancelled in the past one year.
- 9.10 A Grievance Officer shall be appointed by the aggregator who shall resolve all the grievances received and provide the details of the grievances received by it, to the Competent Authority through an online process. The details of the Grievance Officer i.e. the name, e-mail address, and telephone number(s) shall be made available by the aggregator on its App and website.

10. Induction Training Programme

- 10.1 The Induction Training Programme shall be of a duration of at least forty (40) hours for the drivers comprising a combination of in-person and virtual training sessions. The broad details of the course of this program shall be made available online by the aggregator. The course shall train the drivers:
- i) to use the App of the aggregator;
 - ii) the relevant provisions of the related Acts and rules;
 - iii) Motor Vehicles (Driving) Regulations 2017;
 - iv) first responder training for at least six (6) hours to respond to emergencies and provide assistance in case of road accidents;
 - v) on careful driving, traffic rules, motor vehicle maintenance, fuel efficient driving, conduct and behavior;
 - vi) on familiarization with the routes;
 - vii) on the terms and conditions of the agreement between the driver and the aggregator;
 - viii) special training on gender sensitivity and Divyangjan sensitivity and mobility needs;
 - ix) such other training as the State Government may require.
- 10.2 The aggregator shall upload details of the induction training structure on the designated portal.

11. Compliances with regard to drivers

11.1 For the purposes of on-boarding drivers, the aggregator shall ensure that the following conditions are complied with, namely:

- i) That the driver holds a valid proof of any identity on the basis of any document listed under Rule 4 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (“CMVR”);
- ii) That the driver holds a valid driving licence for the concerned vehicle type or class within which the respective vehicle falls throughout the period of onboarding;
- iii) That the driver has the required experience mandated under sub-section (1) of section 7 of the Act;
- iv) That the driver has a valid bank account in his name;
- v) That the driver has not been convicted within the past three (3) years, for any of the following offence, namely:
 - (i) the offence of driving under the influence of drugs or alcohol, and
 - (ii) any cognizable offence under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (as may be applicable) including fraud, sexual offences, use of a motor vehicle to commit a cognizable offence, a crime involving property damage or theft, acts of violence, acts of terror or acts constituting nuisance or danger to public;
- vi) That the driver undergoes a medical examination for fitness, including an eye check-up, by a hospital or medical institution identified by the aggregator;
- vii) That the driver undergoes a psychological analysis conducted by the aggregator to determine whether they are fit to be on-boarded;
- viii) That the character and antecedents of the driver are verified by the Police at least seven (7) days prior to on-boarding and the aggregator shall maintain a written record of such verification;
- ix) That a valid contract is executed between the aggregator and the driver, including in the language of the State, specifying the terms and conditions applicable for on-boarding and operating vehicles. The standard terms and conditions shall be made available online by the aggregator on its website.

Provided that the compliance with above conditions for the entire period shall be co-terminus with the licence held by the aggregator.

11.2 For the welfare of drivers, the aggregator shall ensure compliance with the following conditions, namely:

- i) Ensure a health insurance for not less than Rs. 5 Lakh for each driver on-boarded, which shall be increased each year by such percentage each driver as notified by the Central Government.
- ii) Ensure a term insurance for not less than Rs. 10 Lakh for each driver on-boarded, which shall be increased each year by such percentage as notified by the Central Government.
- iii) Provided that the provisions made under Social Security Code, 2020 will prevail upon being notified and implemented with respect to sub-clause (i) and sub-clause (ii) above.
- iv) Conduct annual Refresher Training Programme as a combination of in-person and virtual training sessions through either in-house resources or collaboration with other institutions and maintaining the records of such refresher training.
- v) Provided that the drivers whose rating falls below 5 percentile from amongst all drivers who are placed similarly in terms of the duration of engagement with the aggregator, shall compulsorily undergo Refresher Training Programme every quarter, in absence of which the driver shall not continue to provide services through the aggregator.
- vi) In the event a complaint is registered against the driver for violation of provisions of the Act, rules or these Guidelines, from a passenger, an inquiry is conducted by the aggregator within a period of three (3) days from the day on which such complaint is made and appropriate action against the driver is only taken after completion of such inquiry. The aggregator shall inform the passenger of outcome of the said inquiry upon its completion.

11.3 The aggregator shall maintain a digital record of the following documents pertaining to the on-boarded drivers, duly authenticated from SARATHI portal and such other documents as the aggregator may deem fit, including

- i) A photograph;
- ii) Physical copy of the Driving licence;
- iii) Present residential address along-with acceptable documents for proof of address as specified in CMVR;
- iv) Verified bank account details;

- v) Names and addresses with contact information of two emergency contacts.

12. Permit

The aggregator shall ensure that all the motor vehicles attached with on-boarded drivers have an appropriate permit under applicable provisions of the Act.

13. Compliances with regard to vehicles

13.1 An aggregator shall ensure that the motor vehicles attached with on-boarded drivers comply with the following conditions:

- i) Have a valid registration;
- ii) Have a valid Certificate of Fitness as per the Act;
- iii) Display the registration mark as specified in the CMVR;
- iv) Have a valid third-party insurance policy;
- v) Have a valid pollution-under-control certificate required under the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- vi) Such emission norms as may be specified by the State Government for the State or any urban area in the State, as the case may be;
- vii) City specific fuel norms;
- viii) Have paid the applicable motor vehicle taxes and other dues;
- ix) Does not have any unpaid challans related to offences and contraventions under the Act imposed on the motor vehicle;
- x) Display a copy of driver's licence and the motor vehicle permit (if applicable) inside the motor vehicle (except motorcycles). The said display shall be on the back side of the front seat next to the driver in such manner as shall be clearly visible to the passengers in the motor vehicle;
- xi) Are fitted with a functional Vehicle Location Tracking Device or System, compliant with AIS 140, along-with a panic button, as mandated under Rule 125H of the CMVR and connected to the control room of the aggregator with the electronic feed from vehicle location tracking device available at integrated command and control centre established by the State/ UT Government;
- xii) Have disabled child lock mechanism (except for three-wheelers, motorcycles and buses) as per applicable law;

- xiii) Have enabled manual override for the central locking system (except for three-wheeled vehicles, motor cycles, buses, as per applicable law);
 - xiv) Have a fire extinguisher of suitable capacity placed inside the motor vehicle (except for motor cycles);
 - xv) Have a first-aid kit placed inside the motor vehicle.
- 13.2 An aggregator shall not onboard vehicles which have been registered for more than a period of eight years from the date of initial registration of the vehicle and shall ensure that all vehicles onboarded by it should not have exceeded eight years since the date of initial registration of the vehicle.
- 13.3 An aggregator shall verify and maintain the following documents and records of all motor vehicles on-boarded by it and shall authenticate this data on a real-time basis on the VAHAN portal:
- i) Certificate of Registration;
 - ii) Certificate of Fitness as per the Act;
 - iii) Chassis and engine numbers;
 - iv) Third-party insurance policy;
 - v) Pollution-under-control certificate; and
 - vi) The number of pending e-challans prior to on-boarding and their clearance before on-boarding.

14. Compliance with regard to Website, App and technology

- 14.1 The aggregator shall develop and maintain a website disclosing details of its ownership, registered address, fare structure, contact information for customer services, e-mail address, services offered by it and other relevant details.
- 14.2 The App shall be developed in a manner that it is compliant with the applicable law.
- 14.3 The App shall be accessible in English, Hindi, along-with the official language of the State/ UT where the official language is not Hindi.
- 14.4 The vulnerabilities and the cyber safety of the App of the aggregator shall be certified by a cyber security firm recognised and empaneled by CERT-In.
- 14.5 The data, including but not limited to, the details of journey, details of passengers and the fare, shall be generated on the App of the aggregator

and stored as per the applicable law, including the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

- 14.6 The proportion of the share of the fare and incentives provided to the driver, particulars of the driver fare and apportioned fare and other information as may be notified by the State Government, shall be ensured by the aggregator through up-to-date disclosures on its website and in the App.
- 14.7 The App shall include a feature enabling the passengers to share their live location and status of the journey till the journey is completed whereafter the live location sharing feature shall be unavailable.
- 14.8 The App shall include special features which make it accessible for Divyangjans.
- 14.9 The App shall display a clear and high-resolution picture of the driver on-boarded on the App of the aggregator.
- 14.10 The aggregator shall formulate and implement a zero-tolerance policy for use of drugs or alcohol for on-boarded drivers while they are on duty. The aggregator shall upload its policy and the procedure to report a complaint in this regard on their website and on their App. The aggregator shall immediately and forthwith Off-Board the driver upon receipt of a complaint alleging violation of its zero-tolerance policy pending inquiry. The suspension shall continue during the period of investigation by the aggregator.
- 14.11 The contact information of the driver undertaking journey shall be available to the passenger, through the App, for at least seven (7) days from the end of the journey;
- 14.12 The aggregator shall establish a control room with 24x7 operations and ensure that all the motor vehicles onboarded maintain an uninterrupted contact with the control room. The control room shall monitor the movements of motor vehicles and the on-boarded drivers.
- 14.13 Aggregator shall establish a call centre with an active telephone number and e-mail address, displayed clearly on its website and on the App, which shall be operational 24x7, providing assistance in English and along-with the official language of the State. These call centres shall be responsible for:
 - i) enabling the passenger and/or the driver or any other person to contact the call centre regarding issues related to the journey or the on-boarded driver etc.;
 - ii) ensuring redressal of the passenger grievances.

14.14 The aggregator shall cooperate with lawfully authorised authorities investigating an accident or incident involving motor vehicle or driver on-boarded by the aggregator.

15. Compliances to ensure safety of passengers

The aggregator shall ensure compliance with the following conditions related to safety of the passengers, namely:

15.1 that the Vehicle Location and Tracking Devices installed in motor vehicles, as applicable, functions properly and the feed is received by it as well as linked to the integrated Command and Control Centre of the State Government.

Explanation: For the purposes of these guidelines, Vehicle Location Tracking Devices shall include the in-App location tracking for all motor vehicles, including motorcycles and three-wheelers.

15.2 that the driver follows the route indicated in the App. through an in-built mechanism and in case of any deviation, the App shall signal the control room, which shall then connect with the driver and the passenger immediately.

15.3 that the safety of the passengers especially children, women and divyangjan passengers and compliance with the applicable law is ensured.

15.4 that a mechanism is provided on the App to verify whether the identity of the driver undertaking a journey is same as the one registered and verified by Police during the on-boarding process.

15.5 that regular checks by personnel authorized by the aggregator of motor vehicles on-boarded are conducted.

16. Non-discrimination policy to be followed by the aggregator

The aggregator shall treat the motor vehicles owned by drivers on-boarded or any third party providing motor vehicles to such on-boarded drivers, at parity with the motor vehicles owned by it.

17. Regulation of Fare

17.1 The fare notified by the State Government for the respective category or class of motor vehicles, shall be the base fare chargeable to passengers availing services from the aggregator.

17.2 The base fare chargeable shall be for a minimum of three (3) kilometers to compensate for dead mileage including the distance travelled without a

passenger and the distance travelled and fuel utilized for picking up the passenger(s).

- 17.3 The aggregator shall be permitted to charge a minimum of 50% lower than the base fare and a maximum dynamic pricing of two times the base fare specified under sub-clause (17.1) above.
- 17.4 The driver onboarded along-with the motor vehicle with the aggregator shall receive at least 80% of the fare applicable including all cost under driver's fare and the remaining charges may be retained as the Apportioned Fare by the aggregator. The payment may be settled daily, weekly or fortnightly but not later as per the agreement between the driver and the aggregator.
- 17.5 With respect to motor vehicles owned by the aggregator the on-boarded driver shall receive at least 60% of the fare applicable, including all costs specified in Driver Fare and the remaining charges shall be retained as the Apportioned Fare.
- 17.6 With respect to any other scenario not covered under sub-clause (17.4) or (17.5) above, the driver shall receive the payment as per his agreement with the aggregator.
- 17.7 In States where the fare has not been determined by the State Government, the base fare may be notified to the State Government by the aggregator for the purposes of fare regulation and shall be followed till such time as the State Government determines the fare. Similarly, fixation for other classes of vehicles, permitted for aggregation in the State, shall be done by the State Government.
- 17.8 No passenger shall be charged for dead mileage except when the distance for availing the ride is less than three (3) kilometres as mentioned under sub-clause (17.2) above and the fare shall be charged only from the point of origin of the journey to the point of destination where the passenger is dropped off.

18. Cancellation of Rides

- 18.1 On cancellation of a booking by a driver after accepting a journey on the App, a penalty of 10% of the Fare not exceeding Rs. 100, shall be imposed where such cancellation is made without a reason identified as valid by the aggregator and duly and specifically mentioned on its website and App.
- 18.2 On cancellation of a booking by passenger after booking a journey on the App, a fee of 10% of the fare not exceeding Rs. 100, shall be collected, when such cancellation is made without a valid reason and duly and specifically mentioned on the website and App of the Aggregator. Such

fare amount shall be divided between the driver and the aggregator in the same proportion as stated under Clause 15 of these guidelines.

19. Penalty

The penalty, if any, as provided under clause 18 above, imposed on the driver or the aggregator, shall be deducted from the respective share specified in under clause 17 of the driver or the aggregator.

20. Sustainable Fleet Management by aggregators

The State Government may direct aggregators to incrementally on an annual basis increase the percentage of electric, alternate fuel or zero emission vehicles in their fleet.

21. Inclusion of Divyangjan Fleet

The State Government shall determine an adequate number of Divyangjan friendly motor vehicles required in the State and direct aggregators to proportionately include such vehicles within their fleet.

22. Conversion to Electric Mobility

The aggregator shall mandatorily adhere to the targets fixed for inclusion of electric vehicles in their fleet. The targets shall be fixed by an appropriate Government organization responsible for regulating air quality or by the State Government.

23. Aggregation of non-transport motorcycles by aggregators

23.1 The State Government may allow aggregation of non-transport motorcycles for journey by passengers as shared mobility through aggregators resulting in reduced traffic congestion and vehicular pollution, along-with providing *inter alia* affordable passenger mobility, hyperlocal delivery, creating livelihood opportunities.

23.2 The State Government may, in exercise of its powers under sub-section (3) of Section 67 of the Act, permit aggregation of non-transport motorcycles for journey by passengers.

23.3 The State Government may, under sub-section (3) of Section 67 of the Act, impose fees on the aggregator for issuance of authorizations permitting non-transport motorcycles to undertake journeys through such aggregator, on a daily/ weekly/ fortnightly basis, as may be determined by the State Government.

23.4 On-boarding of drivers by the aggregator under this clause shall satisfy the compliances stipulated under these guidelines.

24. Suspension of aggregator Licence

24.1 The Licence granted to an aggregator may be suspended for reasons in writing ("Suspension Order"), by the Competent Authority either on its own or on receipt of a complaint against the aggregator after an inquiry conducted by the Competent Authority.

24.2 The period of suspension may extend to three (3) months.

24.3 The Suspension Order shall be passed by the Competent Authority after providing the aggregator a hearing within ten (10) days from receipt of such complaint or initiation of action.

24.4 The following grounds, amongst others, shall be considered as grounds for suspension of Licence:

- i) Failure of aggregator to ensure safety of the passenger and/or the driver, including through by a reasoned analysis of the quarterly rating parameters determined by the State Government; or
- ii) Frequent instances with regard to the fares charged to passengers, unjustified imposition of dynamic pricing, non-compliance with the guidelines for proportionate division of fare between the drivers and aggregator, imposition of unsubstantiated charges on drivers ; or
- iii) Failure of aggregator to comply with the obligations contained in the contract with the drivers; or
- iv) Failure of aggregator to comply with these guidelines;
- v) Jeopardizing the safety of passenger and/or well-being of drivers;
- vi) Violation of safety standards by the aggregator resulting in road accidents;
- vii) Severity of financial irregularities as obtained through audit of accounts of the aggregator; and
- viii) Any other parameters as the Competent Authority may deem fit and appropriate.

Provided that if the Competent Authority is of the opinion that it would not be expedient or feasible to suspend the License of the aggregator, it may determine and impose upon such aggregator, a penalty which shall be up to Rupees One (1) Crore but not be less than Rupees One (1) Lakh depending upon the quantum and severity of the alleged infraction.

24.5 When a Licence is suspended, the aggregator shall immediately stop all operations under the Licence till the time such suspension is revoked or the period of suspension ends.

- i) Before expiry of the period of suspension, the aggregator shall, by way of an undertaking in writing, undertake that the grounds for its suspension, specified under the Suspension Order, stand resolved.
- ii) The competent Authority shall thereafter pass another order acknowledging resolution of the grounds for passing of the Suspension Order and receipt of the undertaking by the aggregator.
- iii) Thereafter, the aggregator shall resume operations for a period that shall not be less than two (2) months but may extend to six (6) months, ("Probationary Period") during which period, the aggregator shall continue operations and ensure compliance with these guidelines and any infractions during this period that may occasion action for suspension of license may lead directly to cancellation of the license under clause (25).

25. Cancellation and Surrender of aggregator Licence

25.1 Where the aggregator,

- i) has had its Licence suspended within a duration of three financial years and has committed another infraction under clause 24 that may occasion action for suspension; or
- ii) has committed or cause to be committed a violation of these guidelines of such a grievous nature so as to endanger the safety or security of the passenger or the driver.

the Competent Authority shall issue a notice to such aggregator to show cause as to why the Licence granted to them should not be cancelled.

25.2 The Competent Authority may, within ten (10) days of issuing the show cause notice under clause (25.1) above, provide an opportunity of a hearing to the aggregator and thereafter take a decision on cancelling the Licence or otherwise, through a reasoned order and bring such cancellation to the notice of other States and the Central Government.

25.3 Where a licence is cancelled, the aggregator shall immediately stop all operations under the Licence.

25.4 Without prejudice to the order of cancellation passed by the Competent Authority, the Security Deposit shall stand forfeited.

25.5 The aggregator may, at any time, voluntarily surrender the Licence and on such surrender, the Security Deposit shall be returned to the aggregator after deductions on account of outstanding dues, if any.

26. Appeal

- 26.1 The aggregator aggrieved by any order of suspension or cancellation passed by the Competent Authority may, within thirty (30) days of receipt of such order, appeal to the notified appellate authority designated by the State Government for hearing appeal against the impugned order.
- 26.2 An appeal shall be in the form of a memorandum, disclosing the grounds for appeal and shall be accompanied by the requisite fee for appeal determined by the State Government and the copy of the order passed by the Competent Authority.
- 26.3 The appellate authority shall provide an opportunity of hearing to the aggregator and decide the appeal within a period of 60 days from the date of filing the appeal.
- 26.4 While deciding the appeal, appellate authority shall pass such orders as he deems fit.

27. Powers of the State Government

- 27.1 The State Government shall be empowered to call for such information documents or records from the aggregator, as it deems fit to ensure compliance by the aggregator with these guidelines, through a written notice. The information sought shall also include the power to conduct an inquiry into the aggregator.
- 27.2 The State Government shall enable the aggregator to authenticate the details of on-boarded vehicles, drivers and vehicle owners through the VAHAN and SARTHI portals.

FORM I

[See Clause 4.1]

Application for the Grant of Licence for Aggregator under the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025

To,

The [Designation],

[Name of State] Competent Authority,

[Name of State]

I, the undersigned hereby apply for grant of a Licence for operation as an Aggregator under the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025 in the State of [Name of State].

1.	Full name	
2.	Address of the head office	
3.	Number of branch offices and addresses thereof, if any	
4.	a. If a registered company, enclose a copy of certificate of incorporation/ registration along with a copy of memorandum of association. b. If a firm, enclose a copy of certificate of registration of the firm.	
5.	Name and contact details of key managerial personnel or authorized signatory	1. 2. 3.
6.	Telephone number, website address and E-mail address	
7.	Number of (type of vehicle) proposed to be operated. (Enclose a separate list containing vehicle numbers and permit particulars of each vehicle, as applicable)	
8.	Details of GPS/ GPRS facility	
9.	Details of other infrastructure	
10.	Details of location of servers where data is proposed to be stored	
11.	Details of returns filed in the last three financial years. (Enclose copies of financial statements of last three years)	
12.	Details of application fee paid	Rs.
13.	Details of Security Deposit	

I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the Licence granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025, I accept and agree to abide by the same and the reference statutes and rules mentioned herein.

Place:

Date:

Signature of the Applicant/ Authorized
Signatory
(along with company seal, as applicable)

FORM II

[See Clause 7.2]

Application for the Renewal of Licence for Aggregator under the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025

To,

The [Designation],

[Name of State] Competent Authority,

[Name of State]

I, the undersigned hereby apply for grant of a Licence for operation as an Aggregator under the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025 in the State of [Name of State].

1.	Full name	
2.	Address of the main office	
3.	Number of branch offices and addresses thereof, if any	
4.	a. If a registered company, enclose a copy b. of certificate of incorporation / registration along with a copy of memorandum of association. c. If a firm, enclose a copy of certificate of registration of the firm.	
5.	Name and contact details of key managerial personnel or authorized signatory	1. 2. 3.
6.	Telephone number, website address and email address	
7.	Number of (type of vehicle) proposed to be operated. (Enclose a separate list containing vehicle numbers and permit particulars of each vehicle)	
8.	Details of GPS/ GPRS facility	
9.	Details of other infrastructure	
10.	Details of location of servers where data is proposed to be stored	
11.	Details of returns filed in the last three years. (Enclose copies of financial statements of last three years)	
12.	Details of Licence: a. Licence Number b. No. of suspensions, if any, and details thereof	
13.	Details of fee paid	Rs.
14.	Details of Security Deposit	

I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the Licence granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025, I accept and agree to abide by the same and the reference statutes and rules mentioned herein.

Place:

Date:

Signature of the Applicants

Authorized Signatory
(along with company seal, as applicable)

FORM III

[See Clause 4.7]

Licence for an Aggregator under the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025

[_____] is hereby licenced to operate as an Aggregator under the Motor Vehicles Act, 1988 in compliance with directions stipulated under the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025.

1.	Full name of the Aggregator	
2.	Address of the main office	
3.	Number of branch offices and addresses thereof, if any	
4.	Telephone number, website address and email address	
5.	Number of auto rickshaw/ e- rickshaw/ motor cab/ motor Cycle or bus (as per the list enclosed by the Aggregator in Form I/II, as may be applicable)	
6.	Particulars of the manner in which the Aggregator shall function	
7.	Details of application fee paid	
8.	Details of Security Deposit	

The Licencee shall observe all the conditions contained in the Motor Vehicles Aggregator Guidelines, 2025.

Place:

Date:

Signature of the Competent Authority



मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश

2025

सामग्री की तालिका

प्रस्तावना.....	3
यह रिपोर्ट किसके लिए प्रासंगिक हो सकती है.....	4
मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025	5
1. परिभाषाएं	5
2. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता	7
3. केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पोर्टल	8
4. लाइसेंस प्रदान करने या उनके नवीनीकरण के लिए आवेदन और उससे संबंधित मामले	8
5. लाइसेंस शुल्क.....	9
6. प्रतिभूति जमा राशि	9
7. लाइसेंस की वैधता, उसका नवीनीकरण और उससे संबंधित मामले.....	9
8. लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता	10
9. लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें	10
10. प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम.....	11
11. ड्राइवरों के संबंध में अनुपालन	12
12. परमिट	15
13. यानों के संबंध में अनुपालन	15
14. वेबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुपालन.....	17
15. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन.....	19
16. एग्रीगेटर द्वारा अपनाई जाने वाली गैर-भेदभाव नीति.....	19
17. किराये का विनियमन.....	20
18. यात्रा निरस्त करना	21
19. जुर्माना	21
20. एग्रीगेटर्स द्वारा सतत फ्लीट प्रबंधन	21
21. दिव्यांगजन अनुकूल बेड़े को शामिल करना.....	21
22. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन	22
23. एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों का एकत्रीकरण (एग्रीगेशन)	22

24.	एग्जीगेटर की लाईसेंस का निलंबन	22
25.	एग्जीगेटर लाईसेंस को निरस्त करना और उसे वापस करना	24
26.	अपील.....	25
27.	राज्य सरकार की शक्तियां.....	26
प्रपत्र I		27
प्रपत्र II		29
प्रपत्र III.		31

प्रस्तावना

2020 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अंतर्गत “मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020” जारी किए थे। उक्त दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को सड़क परिवहन क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने और एग्रीगेटरों को विनियमित करने के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान किया गया।

2020 से भारत के साझा गतिशीलता परितंत्र (शेयर्ड मोबिलिटी इकोसिस्टम) में तेजी से और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बाइक-शेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की शुरुआत और ऑटो-रिक्शा की सवारी सहित विविध और सुनम्य मोबिलिटी समाधानों की मांग में वृद्धि से उपभोक्ता आधार व्यापक हो गया है। जैसे-जैसे यात्रा संबंधी प्राथमिकताएं विकसित हो रही हैं, एग्रीगेटर्स ने नवीन मॉडलों के माध्यम से इन नई मांगों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है।

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 को मोटर यान एग्रीगेटर परितंत्र में विकास के साथ नियामक ढांचे को अद्यतन रखने के लिए संशोधित किया गया है। नए दिशानिर्देशों में प्रयोक्ता की सुरक्षा और चालक (ड्राइवर) के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए कम से कम हस्तक्षेप वाली नियामक प्रणाली प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

राज्य सरकारें इन संशोधित दिशानिर्देशों को उनके जारी होने की तारीख से तीन (3) माह के भीतर अपना सकती हैं और इसमें निर्दिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी शामिल कर सकती हैं।



यह रिपोर्ट किसके लिए प्रासंगिक हो सकती है



मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025

1. परिभाषाएं

1.1. इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" मोटर यान अधिनियम, 1988 से अभिप्रेत है।
- (ख) "एग्रीगेटर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1क) के अंतर्गत दिया गया है।
- (ग) "ऐप" किसी एग्रीगेटर द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित डिजिटल एप्लीकेशन से अभिप्रेत है।
- (घ) "आवेदन शुल्क" इन दिशानिर्देशों के खंड 4 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में प्रभार से अभिप्रेत है।
- (ङ) "विभाजित किराया" किराये के उस भाग से अभिप्रेत है, जो एग्रीगेटर द्वारा तय किया जाता है।
- (च) "सक्षम प्राधिकारी" राज्य सरकार के ऐसे प्राधिकारी से अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करता है।
- (छ) "अनुबंध" एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच समझौते से अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे एग्रीगेटर के ऐप के माध्यम से यात्री को सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट किया जाता है।
- (ज) "नाम निर्दिष्ट पोर्टल" इन दिशानिर्देशों के खंड 3 के अंतर्गत स्थापित और अधिसूचित पोर्टल से अभिप्रेत है।
- (झ) "ड्राइवर किराया" का तात्पर्य यात्रा के दौरान ऐप के माध्यम से यात्री को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एग्रीगेटर द्वारा ड्राइवर को देय किराए का ऐसा हिस्सा, जिसमें ड्राइवर द्वारा भुगतान किया गया टोल और पार्किंग शुल्क शामिल है।

- (ज) "डायनेमिक मूल्य निर्धारण" का तात्पर्य एग्रीगेटर के किराए के किराया एल्गोरिदम का आउटपुट है, जो यात्रा की कीमत तब बढ़ा देता है जब यात्राओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है।
- (ट) "किराया" का तात्पर्य किसी यात्रा के लिए ऐप के माध्यम से एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्री द्वारा ड्राइवर या एग्रीगेटर, जैसा भी मामला हो, को देय कुल शुल्क होगा, जिसमें टोल की लागत, कर और पार्किंग शुल्क, जो भी लागू हो, शामिल हैं।
- (ठ) "प्रपत्र" इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है।
- (ड) "शिकायत निवारण अधिकारी" किसी यात्री या चालक की शिकायत के निवारण के लिए एग्रीगेटर द्वारा नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है।
- (ढ) "प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम" इन दिशानिर्देशों के खंड (10) में निर्दिष्ट प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से अभिप्रेत है।
- (ण) "यात्रा" से प्रस्थान के स्थान से गंतव्य तक निर्दिष्ट तारीख और समय पर की गई यात्रा से अभिप्रेत है, फिर चाहे वह यात्रा की गई हो या नहीं और इसमें यात्रा योजना के लिए उपयोग किए जा रहे मोटर यान का प्रकार या श्रेणी शामिल होगी।
- (त) "लाइसेंस" अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत एग्रीगेटर को जारी किया गया लाइसेंस से अभिप्रेत है।
- (थ) "लाइसेंस शुल्क" इन दिशानिर्देशों के खंड 5 के अंतर्गत देय शुल्क से अभिप्रेत है।
- (द) "ऑन-बोर्ड" से इसके व्याकरणिक रूपांतरों सहित एग्रीगेटर द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों और वाहनों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।
- (ध) "ऑफ-बोर्ड" इसके व्याकरणिक रूपांतरों सहित एग्रीगेटर द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर और वाहन का पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

- (न) "यात्री" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो यात्रा करने के लिए एग्रीगेटर के ऐप का उपयोग करता है।
- (न) "रेटिंग" एग्रीगेटर द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर यात्री द्वारा की गई यात्रा की गुणवत्ता के मूल्यांकन से अभिप्रेत है।
- (प) "पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम और मूल्यांकन" एग्रीगेटर के साथ एकीकृत ड्राइवरों के लिए व्यक्तिगत रूप से और आभासी प्रशिक्षण सत्रों में दिया गया कम से कम अड़तालीस (48) घंटे की अवधि का प्रशिक्षण सत्र और 10 घंटे की अवधि के एक निरंतर सत्र से अभिप्रेत है।
- (फ) "प्रतिभूति जमा" उस राशि से अभिप्रेत है, जो एग्रीगेटर द्वारा देय है, जिसे लाइसेंस शुल्क के साथ बैंक गारंटी या बीमा जमानत बांड के रूप में प्रस्तुत किया जाना है।

1.2. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित और उल्लिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

2. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

- 2.1. ये दिशानिर्देश किसी भी राज्य के भीतर संचालित किसी भी एग्रीगेटर पर लागू होंगे।
- 2.2. ये दिशानिर्देश उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो स्वयं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त एग्रीगेटर्स के लिए एक अंतर-संचालनीय नेटवर्क के प्रावधान तक सीमित रखते हैं और ड्राइवरों या मोटर वाहनों या दोनों को सीधे तौर पर शामिल नहीं करते हैं।
- 2.3. ये दिशानिर्देश उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा करने की टिकटों की बिक्री का कार्य करती हैं।

3. केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पोर्टल

केंद्र सरकार लाइसेंस के लिए आवेदन की एकल खिड़की अनुमोदन के लिए एक पोर्टल विकसित और नामित करेगी, जिसमें उचित आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति जमा की प्राप्ति शामिल होगी:

बशर्ते कि जब तक यह पोर्टल विकसित और चालू नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकारें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करेंगी।

4. लाइसेंस प्रदान करने या उनके नवीनीकरण के लिए आवेदन और उससे संबंधित मामले

4.1. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, नीचे खंड 8 के अंतर्गत उल्लिखित मानदंडों के अंतर्गत पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त खंड 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट पोर्टल पर, प्रपत्र 1 में किया जाएगा। इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण संलग्न करना होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

4.2. एग्रीगेटर द्वारा उसके द्वारा संचालित सभी या किसी भी प्रकार या वर्ग के मोटर वाहनों के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा।

4.3. राज्य के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

4.4. उप-खण्ड (4.1) के अंतर्गत किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में ऐसे आवेदन की तारीख से नब्बे (90) दिन की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

4.5. यदि आवेदक इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट लाइसेंस प्रदान करने की किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो वह एग्रीगेटर का पक्ष सुनने के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

4.6. इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उचित लाइसेंस शुल्क का भुगतान और प्रतिभूति जमा करने का निर्देश देगा।

4.7. लाइसेंस शुल्क के भुगतान और प्रतिभूति जमा होने पर, सक्षम प्राधिकारी भुगतान की तारीख से पंद्रह (15) दिनों की अवधि के भीतर, इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र III में आवेदक को लाइसेंस प्रदान करेगा।

4.8. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाएगा।

5. लाइसेंस शुल्क

एग्रीगेटर द्वारा देय लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	विवरण	धनराशि रुपए में
1	एग्रीगेटर को लाइसेंस प्रदान करना	5,00,000
2	लाइसेंस का नवीनीकरण	25,000
3	लाइसेंसधारी के पते में परिवर्तन को नोट करने के लिए	25,000

6. प्रतिभूति जमा राशि

एग्रीगेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिभूति जमा राशि निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	विवरण	धनराशि रुपए में
1	100 बसें या 1000 अन्य मोटर यान तक	10,00,000
2	1000 बसें या 10000 अन्य मोटर यान तक	25,00,000
3	1000 से अधिक बसें या 10000 अन्य मोटर यान	50,00,000

7. लाइसेंस की वैधता, उसका नवीनीकरण और उससे संबंधित मामले

7.1. कोई भी लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

7.2. इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र II में आवेदन के अनुसार, नवीनीकरण की शर्तों के अनुपालन के अध्यक्षीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे नवीनीकरण के प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगा:

(क) इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एग्रीगेटर का रिकॉर्ड, और

(ख) जिस राज्य में आवेदन किया गया है, वहां एग्रीगेटर के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई।

8. लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता

8.1. आवेदक, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत सीमित देयता भागीदारी या ड्राइवरों या मोटर वाहन मालिकों के संघ द्वारा गठित सहकारी समिति होगी और सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होगी।

8.2. आवेदक को लागू कानून का अनुपालन करना होगा, जिसमें अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके आंतरगत जारी मध्यस्थ दिशानिर्देश शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

9. लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले एग्रीगेटर को निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:

9.1. एग्रीगेटर किसी ड्राइवर को नियुक्त करने से पहले तथा इन दिशा-निर्देशों के जारी होने से पहले नियुक्त किए गए ड्राइवरों के लिए भी खंड 10 के अंतर्गत विस्तृत रूप से बताए गए अनुसार एक परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा या करवाएगा।

9.2. एग्रीगेटर को सक्षम प्राधिकारी को सेवाओं के प्रारंभ की लिखित सूचना देनी होगी और लाइसेंस प्रदान किए जाने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर इसे अद्यतन करना होगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

9.3. सेवाएं प्रारंभ होने से बहतर (72) घंटे पहले, एग्रीगेटर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और उक्त सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

- 9.4. स्वास्थ्य या जन सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, का एग्रीगेटर और ऑन-बोर्ड ड्राइवरों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
- 9.5. एग्रीगेटर को यात्रियों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये की बीमा राशि सुनिश्चित करनी होगी।
- 9.6. एग्रीगेटर ऑन-बोर्ड ड्राइवरों को कई एग्रीगेटरों के साथ संचालन करने से रोकेगा नहीं या प्रतिबंधित नहीं करेगा।
- 9.7. एग्रीगेटर को ऐप में ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए एक कार्यतंत्र विकसित करना होगा, जिससे यात्रा के समग्र अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके।
- 9.8. एग्रीगेटर, वैध अनुबंध कैरिज परमिट वाले और ऑन-बोर्ड होने के इच्छुक मोटर यान को एग्रीगेटर के साथ ऑन-बोर्ड होने की अनुमति देगा, बशर्ते कि इन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक खंडों का अनुपालन किया जाए।
- 9.9. विगत एक वर्ष में एग्रीगेटर का लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ होना चाहिए।
- 9.10. एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान करेगा और प्राप्त शिकायतों का विवरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा। शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण अर्थात् नाम, ई-मेल पता और टेलीफोन नंबर एग्रीगेटर द्वारा अपने ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

10. प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 10.1. ड्राइवरों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कम से कम चालीस (40) घंटे की अवधि का होगा, जिसमें व्यक्तिगत और वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों का संयोजन शामिल होगा। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण एग्रीगेटर द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में ड्राइवरों को निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगा:

- (क) एग्रीगेटर के ऐप का उपयोग करना;
- (ख) संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान;
- (ग) मोटर यान (चालन) विनियम 2017;

- (घ) सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आपात स्थिति में कार्रवाई करने और सहायता प्रदान करने के लिए कम से कम छह (6) घंटे का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (रीस्पॉन्डर) प्रशिक्षण;
- (ङ) सावधानीपूर्वक ड्राइविंग, यातायात नियम, मोटर यान का रखरखाव, ईंधन कुशल ड्राइविंग, आचरण और व्यवहार पर;
- (च) मार्गों से परिचित होने पर;
- (छ) ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच सहमति की शर्तों पर;
- (ज) लैंगिक संवेदनशीलता और दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता और गतिशीलता आवश्यकताओं पर विशेष प्रशिक्षण;
- (झ) ऐसा अन्य प्रशिक्षण जिसकी राज्य सरकार अपेक्षा करे।

10.2. एग्रीगेटर को निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रेरण प्रशिक्षण संरचना का विवरण अपलोड करना होगा।

11. ड्राइवरों के संबंध में अनुपालन

11.1. ड्राइवरों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ, एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए, अर्थात्:

- (क) कि चालक के पास केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (सीएमवीआर) के नियम 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज़ के आधार पर किसी भी पहचान का वैध प्रमाण हो;
- (ख) कि चालक के पास संबंधित यान के प्रकार या श्रेणी के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसके अंतर्गत संबंधित वाहन ऑनबोर्डिंग अवधि के दौरान आता हो;
- (ग) कि चालक के पास अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुभव हो;
- (घ) ड्राइवर के नाम पर वैध बैंक खाता हो;

(ड) विगत तीन (3) वर्षों के भीतर चालक को निम्नलिखित में से किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, अर्थात्:

(i) मादक पदार्थों या शराब के नशे में वाहन चलाने का अपराध, और

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जैसा लागू हो) के तहत कोई भी संज्ञेय अपराध, जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, संज्ञेय अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने वाला अपराध, हिंसा के कृत्य, आतंक के कृत्य या उपद्रव या जनता के लिए खतरा पैदा करने वाले कृत्य शामिल हैं;

(च) कि चालक एग्जीगेटर द्वारा पहचाने गए अस्पताल या चिकित्सा संस्थान द्वारा नेत्र जांच सहित फिटनेस के लिए चिकित्सा परीक्षण करवाना;

(छ) कि एग्जीगेटर द्वारा ड्राइवर का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह ऑन बोर्ड के लिए फिट है या नहीं;

(ज) कि ऑन-बोर्डिंग से कम से कम सात (7) दिन पहले ड्राइवर के चरित्र और उसके पहले के जीवन को पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना और एग्जीगेटर ऐसे सत्यापन का लिखित रिकॉर्ड रखेगा;

(झ) कि एग्जीगेटर और ड्राइवर के बीच एक वैध अनुबंध निष्पादित करना, जिसमें राज्य की भाषा में ऑन बोर्डिंग और यान चलाने के लिए लागू नियम और शर्तें निर्दिष्ट हों। एग्जीगेटर द्वारा मानक नियम और शर्तें अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।

बशर्ते कि सम्पूर्ण अवधि के लिए उपरोक्त शर्तों का अनुपालन एग्जीगेटर द्वारा धारित लाइसेंस की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगा।

11.2. ड्राइवरों के कल्याण के लिए, एग्जीगेटर को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अर्थात्:

(क) प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ड्राइवर के लिए प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

- (ख) प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का आवधिक बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार वृद्धि की जाएगी।
- (ग) बशर्ते कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान उप-खंड (क) और उप-खंड (ख) के संबंध में अधिसूचित और कार्यान्वित होने पर यह लागू होंगे।
- (घ) आंतरिक संसाधनों या अन्य संस्थाओं के सहयोग से व्यक्तिगत और आभासी प्रशिक्षण सत्रों के संयोजन के रूप में वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और ऐसे पुनश्चर्या प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना।
- (ङ) बशर्ते कि एग्रीगेटर के साथ कार्य की अवधि के संदर्भ में समान स्थिति वाले सभी ड्राइवरों में से जिन ड्राइवरों की रेटिंग 5 प्रतिशत से कम है, उन्हें प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होगा, ऐसा नहीं करने पर ड्राइवर, एग्रीगेटर के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा।
- (च) यदि किसी यात्री द्वारा अधिनियम, नियमों या इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो शिकायत दर्ज होने के दिन से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर एग्रीगेटर द्वारा जांच की जाए और ऐसी जांच पूरी होने के बाद ही चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। एग्रीगेटर जांच पूरी होने पर यात्री को उसके परिणाम के बारे में सूचित करेगा।

11.3. एग्रीगेटर ऑन-बोर्ड ड्राइवरों से संबंधित दस्तावेजों, जो सारथी पोर्टल से विधिवत प्रमाणित होंगे और ऐसे अन्य दस्तावेज जिन्हें एग्रीगेटर उचित समझे का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) एक फोटो;
- (ख) ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति;
- (ग) सीएमवीआर में निर्दिष्ट पते के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ आवासीय पता प्रस्तुत करना;
- (घ) बैंक खाते का सत्यापित विवरण;

(ड) दो आपातकालीन संपर्क सूत्रों के नाम और पते के साथ संपर्क नंबर ।

12. परमिट

एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मोटर यानों में चालक सहित अधिनियम के लागू प्रावधानों के अंतर्गत समुचित परमिट हो।

13. यानों के संबंध में अनुपालन

13.1. एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन-बोर्ड ड्राइवरों से संबद्ध मोटर यान निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हों:

- (क) वैध पंजीकरण हो;
- (ख) अधिनियम के अनुसार वैध फिटनेस प्रमाणपत्र हो;
- (ग) सीएमवीआर में निर्दिष्टानुसार पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना;
- (घ) वैध तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी हो ;
- (ङ) केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत आवश्यक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हो।
- (च) ऐसे उत्सर्जन मानदंड जो राज्य सरकार द्वारा राज्य या राज्य के किसी शहरी क्षेत्र के लिए, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट किए गए हों;
- (छ) शहर विशिष्ट ईंधन मानदंड;
- (ज) लागू मोटर यान कर और अन्य बकाया का भुगतान किया हो;
- (झ) मोटर यान पर अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अपराधों और उल्लंघनों से संबंधित कोई भी बकाया चालान ना हो;
- (ञ) मोटर यान (मोटरसाइकिलों को छोड़कर) के अंदर ड्राइवर के लाइसेंस और मोटर वाहन परमिट (यदि लागू हो) की एक प्रति प्रदर्शित करें। उक्त प्रति ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट के पीछे की ओर इस तरह से प्रदर्शित होनी चाहिए कि मोटर यान में बैठे यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे;

- (ट) सीएमवीआर के नियम 125ज के तहत अनिवार्य रूप से एआईएस 140 के अनुरूप कार्यात्मक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या सिस्टम, एक पैनिक बटन के साथ सुसज्जित हो और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र पर उपलब्ध वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक फीड के साथ एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा हुआ हो;
- (ठ) लागू कानून के अनुसार चाइल्ड लॉक मैकेनिज्म को निष्क्रिय कर दिया हो (तीन पहिया वाहनों, मोटर साइकिलों और बसों को छोड़कर);
- (ड) केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड सक्रिय किया गया हो (लागू कानून के अनुसार तीन पहिया वाहनों, मोटर साइकिलों, बसों को छोड़कर);
- (ढ) मोटर यान (मोटर साइकिलों को छोड़कर) के अंदर उपयुक्त क्षमता का अग्निशमन यंत्र रखा गया हो;
- (ण) मोटर यान के अंदर एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखी हो।

13.2. एग्रीगेटर ऐसे वाहनों को शामिल नहीं करेगा, जो वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अपने वाहन में शामिल सभी वाहनों को उनके प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो।

13.3. एग्रीगेटर को अपने द्वारा संचालित सभी मोटर वाहनों के निम्नलिखित दस्तावेजों और अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव करना होगा तथा वाहन पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर इस डेटा को प्रमाणित करना होगा:

- (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ख) अधिनियम के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र;
- (ग) चैसिस और इंजन नंबर;
- (घ) तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी;
- (ड) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र; तथा
- (च) ऑन-बोर्डिंग से पहले लंबित ई-चालानों की संख्या और ऑन-बोर्डिंग से पहले उनका निपटान।

14. वेबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुपालन

- 14.1. एग्रीगेटर अपने स्वामित्व, पंजीकृत पते, किराया संरचना, ग्राहक सेवाओं के लिए संपर्क की जानकारी, ई-मेल पता, इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों को दर्शाते हुए एक वेबसाइट को विकसित और इसका अनुरक्षण करेगा।
- 14.2. ऐप को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि यह लागू कानून के अनुरूप हो।
- 14.3. ऐप अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, वहां की आधिकारिक भाषा में उपलब्ध होगा।
- 14.4. एग्रीगेटर के ऐप की भेद्यता और साइबर सुरक्षा को सीईआरटी-इन द्वारा मान्यता प्राप्त और सूचीबद्ध साइबर सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- 14.5. यात्रा का विवरण, यात्रियों का विवरण और किराया सहित परंतु इन्हीं तक सीमित न रहते हुए डेटा एग्रीगेटर के ऐप पर तैयार किया जाएगा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सहित लागू नियमों के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा।
- 14.6. चालक को दिए जाने वाले किराए और प्रोत्साहनों के हिस्से का अनुपात, चालक किराया और विभाजित किराया विवरण और अन्य जानकारी, जैसा भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप में अद्यतन जानकारी सार्वजनिक करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
- 14.7. ऐप में एक ऐसी सुविधा शामिल होगी, जो यात्रियों को यात्रा पूरी होने तक अपनी लाइव लोकेशन (अवस्थिति) और यात्रा की स्थिति साझा करने में सक्षम बनाएगी, उसके बाद लाइव लोकेशन साझा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- 14.8. ऐप में विशेष सुविधाएं शामिल होंगी, जो इसे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाती हैं।
- 14.9. ऐप एग्रीगेटर के द्वारा ऐप पर ऑन-बोर्ड (सवार) चालक की स्पष्ट और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीर प्रदर्शित करेगा।

- 14.10.** एग्रीगेटर ड्यूटी पर रहने के दौरान ऑन-बोर्ड चालकों के लिए मादक पदार्थ या अल्कोहल के उपयोग के लिए कठोर (जीरो टॉलरेंस) नीति तैयार करेगा और उसे लागू करेगा। एग्रीगेटर अपनी नीति और इस संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट और अपने ऐप पर अपलोड करेगा। एग्रीगेटर अपनी कठोर (जीरो टॉलरेंस) नीति के उल्लंघन के आरोप वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच लंबित रहने तक चालक को तुरंत और तत्काल ऑफ-बोर्ड कर देगा। एग्रीगेटर द्वारा जांच की अवधि के दौरान निलंबन जारी रहेगा।
- 14.11.** यात्रा करने वाले चालक की संपर्क संबंधी जानकारी यात्रा की समाप्ति से कम से कम सात (7) दिनों के लिए ऐप के माध्यम से यात्री को उपलब्ध होगी;
- 14.12.** एग्रीगेटर 24x7 संचालन के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऑनबोर्ड किए गए सभी मोटर वाहन नियंत्रण कक्ष के साथ निर्बाध संपर्क बनाए रखें। नियंत्रण कक्ष मोटर वाहनों और उसमें सवार चालकों की गतिविधियों पर नजर रखेगा।
- 14.13.** एग्रीगेटर एक सक्रिय टेलीफोन नंबर और ई-मेल पते के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित करेगा, जो इसकी वेबसाइट और ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा, जो 24x7 चालू रहेगा और अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य की आधिकारिक भाषा में सहायता प्रदान करेगा। ये कॉल सेंटर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:
- (क) यात्री और/या चालक या किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा या सवार चालक आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में कॉल सेंटर से संपर्क करने में सक्षम बनाना;
 - (ख) यात्री की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना।
- 14.14.** मोटर वाहन या एग्रीगेटर द्वारा दिए गए सवार चालक से जुड़ी दुर्घटना या घटना की जांच करने वाले विधिवत अधिकृत अधिकारियों के साथ एग्रीगेटर सहयोग करेगा।

15. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन

एग्रीगेटर यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:

15.1. मोटर वाहनों में संस्थापित वाहन की अवस्थिति और ट्रैकिंग डिवाइस, जैसा भी लागू हो, ठीक से कार्य करते हैं और इससे सूचना प्राप्त होती है और साथ ही राज्य सरकार के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी हुई हो।

स्पष्टीकरण: इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए, वाहन की अवस्थिति (लोकेशन) का पता लगाने वाले उपकरणों में मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों सहित सभी मोटर वाहनों के लिए इन-ऐप अवस्थिति ट्रैकिंग शामिल होगी।

15.2. चालक ऐप में बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा। एक अंतर्निहित कार्य तंत्र के माध्यम से और किसी भी विचलन के मामले में, ऐप नियंत्रण कक्ष को संकेत देगा, जो तुरंत चालक और यात्री से संपर्क करेगा।

15.3. यात्रियों की सुरक्षा, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुरक्षा और लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

15.4. ऐप पर एक कार्य तंत्र दिया जाए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यात्रा करने वाले चालक की पहचान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा पंजीकृत और सत्यापित की गई पहचान के समान है या नहीं।

15.5. ऑन-बोर्ड किए गए मोटर वाहनों की एग्रीगेटर द्वारा अधिकृत कर्मियों द्वारा नियमित जांच की जाती है।

16. एग्रीगेटर द्वारा अपनाई जाने वाली गैर-भेदभाव नीति

एग्रीगेटर, ऑन-बोर्ड किए गए चालकों या ऐसे ऑन-बोर्ड किए गए चालकों को मोटर वाहन उपलब्ध कराने वाले किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के बराबर मानेगा।

17. किराये का विनियमन

- 17.1. मोटर वाहनों की संबंधित श्रेणी या वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किराया, एग्रीगेटर से सेवाएँ प्राप्त करने वाले यात्रियों से वसूला जाने वाला आधार किराया होगा।
- 17.2. बिना यात्री के यात्रा की गई दूरी और यात्रा की दूरी और यात्री(ओं) को लेने के लिए उपयोग किए गए ईंधन सहित डेड माइलेज की भरपाई के लिए न्यूनतम तीन (3) किलोमीटर के लिए लगाया गया आधार किराया होगा।
- 17.3. एग्रीगेटर को आधार किराए से न्यूनतम 50% कम और उप-खंड (17.1) के तहत विनिर्दिष्ट आधार किराए का अधिकतम दो गुना गतिशील मूल्य निर्धारण करने की अनुमति होगी।
- 17.4. एग्रीगेटर के साथ मोटर वाहन के साथ ऑनबोर्ड किए गए चालक को चालक के किराए के तहत सभी लागतों सहित लागू किराए का कम से कम 80% प्राप्त होगा और शेष शुल्क एग्रीगेटर द्वारा आबंटित किराए के रूप में रखा जा सकता है। चालक और एग्रीगेटर के बीच समझौते के अनुसार भुगतान दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं।
- 17.5. एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के संबंध में ऑनबोर्ड किए गए चालक को चालक किराए में विनिर्दिष्ट सभी लागतों सहित लागू किराए का कम से कम 60% प्राप्त होगा और शेष शुल्क विभाजित किराए के रूप में रखा जाएगा।
- 17.6. उप-खंड (17.4) या (17.5) के तहत कवर नहीं किए गए किसी भी अन्य परिदृश्य के संबंध में, चालक को एग्रीगेटर के साथ अपने समझौते के अनुसार भुगतान प्राप्त होगा।
- 17.7. उन राज्यों में जहां किराया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, किराया विनियमन के प्रयोजनों के लिए एग्रीगेटर द्वारा आधार किराया राज्य सरकार को अधिसूचित किया जा सकता है और जब तक राज्य सरकार किराया निर्धारित नहीं करती है, तब तक इसका पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, राज्य में एग्रीगेशन के लिए अनुमत अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

17.8. किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिवाय इसके कि सवारी का लाभ उठाने की दूरी उप-खंड (17.2) के तहत उल्लिखित तीन (3) किलोमीटर से कम हो और किराया केवल यात्रा के आरंभ बिंदु से गंतव्य बिंदु तक लिया जाएगा जहां यात्री को छोड़ा जाता है।

18. यात्रा निरस्त करना

18.1. ऐप पर यात्रा स्वीकार करने के बाद चालक द्वारा बुकिंग निरस्त करने पर, किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा निरस्तीकरण एग्रीगेटर द्वारा वैध कारण के बिना किया गया हो और एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर विधिवत और विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

18.2. ऐप पर यात्रा बुक करने के बाद यात्री द्वारा बुकिंग निरस्त करने पर, किराए का 10% जुर्माना लगाया जाएगा जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा निरस्तीकरण एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर विधिवत और विशेष रूप से उल्लेख किए बिना किया गया हो। ऐसी किराया राशि चालक और एग्रीगेटर के बीच उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी जैसा कि इन दिशानिर्देशों के खंड 15 के तहत बताया गया है।

19. जुर्माना

यदि कोई जुर्माना, जैसा कि ऊपर खंड 18 के तहत प्रावधान किया गया है, चालक या एग्रीगेटर पर लगाया जाता है, तो उसे चालक या एग्रीगेटर के खंड 17 में विनिर्दिष्ट संबंधित हिस्से से काट लिया जाएगा।

20. एग्रीगेटर्स द्वारा सतत फ्लीट प्रबंधन

राज्य सरकार एग्रीगेटर्स को निर्देश दे सकती है कि वे अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक, वैकल्पिक ईंधन या शून्य उत्सर्जन वाहनों का प्रतिशत वार्षिक आधार पर क्रमिक रूप से बढ़ाएँ।

21. दिव्यांगजन अनुकूल बेड़े को शामिल करना

राज्य सरकार राज्य में आवश्यक दिव्यांगजन अनुकूल मोटर वाहनों की पर्याप्त संख्या निर्धारित करेगी और एग्रीगेटर्स को निर्देश देगी कि वे अपने बेड़े में आनुपातिक रूप से ऐसे वाहनों को शामिल करें।

22. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन

एग्रीगेटर को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लक्ष्य वायु गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक उपयुक्त सरकारी संगठन या राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

23. एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों का एकत्रीकरण (एग्रीगेशन)

23.1. राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा मोबिलिटी के रूप में यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़भाड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ वहनीय यात्री मोबिलिटी, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे।

23.2. राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एग्रीगेशन की अनुमति दे सकती है।

23.3. राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (3) के तहत एग्रीगेटर पर गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को ऐसे एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने वाले प्राधिकरण जारी करने के लिए दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर शुल्क लगा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

23.4. इस खंड के अंतर्गत एग्रीगेटर द्वारा चालकों की ऑन-बोर्डिंग इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुपालन को पूरा करेगी।

24. एग्रीगेटर की लाईसेंस का निलंबन

24.1. एग्रीगेटर को दिये गए लाईसेंस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित कारणों से ("निलंबन आदेश"), या तो स्वयं या एग्रीगेटर के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के बाद निलंबित किया जा सकता है।

24.2. निलंबन की अवधि तीन (3) महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

24.3. निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा एग्रीगेटर को ऐसी शिकायत प्राप्त होने या कार्रवाई शुरू होने के दस (10) दिनों के भीतर सुनवाई किये जाने के बाद पारित किया जाएगा।

24.4. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों को लाईसेंस के निलंबन के आधार के रूप में माना जाएगा:

- (क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित त्रैमासिक रेटिंग मापदंडों के तर्कसंगत विश्लेषण के माध्यम से यात्री और/या चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एग्रीगेटर की विफलता; या
- (ख) यात्रियों से लिए जाने वाले किराए के संबंध में लगातार मामले, डायनामिक किराए को अनुचित रूप से लगाना, ड्राइवरों और एग्रीगेटर के बीच किराए के आनुपातिक विभाजन के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना, ड्राइवरों पर निराधार शुल्क लगाना; या
- (ग) ड्राइवरों के साथ अनुबंध में निहित दायित्वों का अनुपालन करने में एग्रीगेटर की विफलता; या
- (घ) इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में एग्रीगेटर की विफलता;
- (ङ) यात्रियों की सुरक्षा और/या ड्राइवरों के हित को खतरे में डालना;
- (च) एग्रीगेटर द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं होती हैं;
- (छ) एग्रीगेटर के खातों की लेखापरीक्षा के माध्यम से प्राप्त वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता; और
- (ज) कोई अन्य पैरामीटर जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित और उपयुक्त समझना।

बशर्ते कि यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि एग्रीगेटर का लाईसेंस निलंबित करना समीचीन या व्यवहार्य नहीं होगा, तो वह ऐसे एग्रीगेटर पर जुर्माना निर्धारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है, जो कथित उल्लंघन की मात्रा और गंभीरता के आधार पर एक (1) करोड़ रुपये तक होगा, लेकिन एक (1) लाख रुपये से कम नहीं होगा।

24.5. जब लाईसेंस को निलंबित किया जाता है, तो एग्रीगेटर लाईसेंस के तहत सभी परिचालनों को तुरंत रोक देगा जब तक कि निलंबन निरस्त नहीं हो जाता या निलंबन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

- (क) निलंबन की अवधि समाप्त होने से पहले, एग्रीगेटर लिखित रूप में वचनबद्धता के माध्यम से यह वचनबद्धता देगा कि निलंबन आदेश के तहत निर्दिष्ट उसके निलंबन के आधार समाप्त हो गए हैं।
- (ख) सक्षम प्राधिकारी इसके बाद निलंबन आदेश पारित करने के आधारों के समाधान और एग्रीगेटर द्वारा वचनबद्धता की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक और आदेश पारित करेगा।
- (ग) इसके बाद, एग्रीगेटर एक अवधि के लिए परिचालन फिर से शुरू करेगा जो दो (2) माह से कम नहीं होगी, परंतु छह (6) महीने तक बढ़ाई जा सकती है, ("परिवीक्षा अवधि") जिसके दौरान, एग्रीगेटर परिचालन जारी रखेगा और इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इस अवधि के दौरान कोई भी उल्लंघन जो लाईसेंस के निलंबन के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है, खंड (25) के तहत लाईसेंस को सीधे निरस्त कर सकता है।

25. एग्रीगेटर लाईसेंस को निरस्त करना और उसे वापस करना

25.1. जहां,

- (क) एग्रीगेटर ने तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर अपना लाईसेंस निलंबित कर दिया है और खंड 24 के तहत एक और उल्लंघन किया है जो निलंबन के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है; या
 - (ख) एग्रीगेटर ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है या करवाया है, जो इस तरह की गंभीर प्रकृति का है कि यात्री या चालक की सुरक्षा को खतरा हो।
- सक्षम प्राधिकारी ऐसे एग्रीगेटर को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि उन्हें दिये गए लाईसेंस को निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

- 25.2.** सक्षम प्राधिकारी, उपर्युक्त खंड (25.1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने के दस (10) दिनों के भीतर एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और उसके बाद तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से लाईसेंस निरस्त करने या अन्यथा निर्णय ले सकेगा तथा ऐसे समाप्ति को अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के संज्ञान में ला सकेगा।
- 25.3.** जहां लाईसेंस निरस्त किया जाता है, एग्रीगेटर लाईसेंस के तहत सभी परिचालन तुरंत बंद कर देगा।
- 25.4.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षा जमा जब्त हो जाएगी।
- 25.5.** एग्रीगेटर किसी भी समय स्वेच्छा से लाईसेंस सरेंडर कर सकता है और ऐसे सरेंडर पर, बकाया राशि, यदि कोई हो, के कारण कटौती के बाद सुरक्षा जमा एग्रीगेटर को वापस कर दी जाएगी।

26. अपील

- 26.1.** सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश से व्यथित एग्रीगेटर, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर, विवादित आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
- 26.2.** अपील ज्ञापन के रूप में होगी, जिसमें अपील के आधारों को स्पष्ट किया जाएगा और उसके साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपील के लिए अपेक्षित शुल्क और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 26.3.** अपीलीय प्राधिकारी एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा अपील दायर करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय करेगा।
- 26.4.** अपील पर निर्णय करते समय अपीलीय प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

27. राज्य सरकार की शक्तियां

27.1. राज्य सरकार लिखित नोटिस के माध्यम से एग्रीगेटर से ऐसी सूचना दस्तावेज या अभिलेख मांगने के लिए सशक्त होगी, जैसा वह एग्रीगेटर द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे। मांगी गई सूचना में एग्रीगेटर के विरुद्ध जांच करने की शक्ति भी शामिल होगी।

27.2. राज्य सरकार एग्रीगेटर को वाहन तथा सारथी पोर्टल के माध्यम से शामिल किए गए वाहनों, चालकों तथा वाहन मालिकों के विवरण को प्रमाणित करने हेतु सक्षम बनाएगी।

प्रपत्र ।

[खंड 4.1 देखें]

**मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत एग्रीगेटर के लिए
लाईसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन**

सेवा में,

[पदनाम],

[राज्य का नाम] सक्षम प्राधिकारी,

[राज्य का नाम]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत राज्य [राज्य का नाम] में एग्रीगेटर के रूप में संचालन हेतु लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ ।

1.	पूरा नाम	
2.	प्रधान कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों	
4.	(क) यदि पंजीकृत कंपनी है तो संगम ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। (ख) यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और संपर्क विवरण	1. 2. 3.
6.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट पता और ई-मेल	
7.	संचालित किये जाने वाले प्रस्तावित वाहनों की संख्या (प्रत्येक वाहन के वाहन क्रमांक तथा परमिट विवरण, जैसा लागू हो, सहित एक पृथक सूची संलग्न करें)	
8.	जीपीएस/जीपीआरएस सुविधा का विवरण	
9.	अन्य अवसंरचना का विवरण	
10.	उन सर्वरों के स्थान का विवरण जहां डेटा संग्रहीत करने का	

	प्रस्ताव है	
11.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दाखिल रिटर्न का विवरण । (पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें)	
12.	भुगतान किये गए आवेदन शुल्क का विवरण	रु.
13.	प्रतिभूति जमा का विवरण	

मैं इस प्रकार घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दी गई लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है, साथ ही मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई/कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैंने मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इसे और यहाँ उल्लिखित संदर्भित विधानों और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता/करती हूँ और सहमत हूँ।

स्थान:

तारीख:

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रपत्र II

[खंड 7.2 देखें]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

[पदनाम],

[राज्य का नाम] सक्षम प्राधिकारी,

[राज्य का नाम]

मैं, मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत राज्य [राज्य का नाम] में एग्रीगेटर के रूप में संचालन हेतु लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूँ ।

1.	पूरा नाम	
2.	मुख्य कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों तो	
4.	(क) यदि पंजीकृत कंपनी है तो संगम ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। (ख) यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और संपर्क विवरण	1. 2. 3.
6.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट पता और ईमेल पता	
7.	संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित (वाहन का प्रकार) की संख्या। (प्रत्येक वाहन के वाहन क्रमांक और परमिट विवरण सहित एक अलग सूची संलग्न करें)	
8.	जीपीएस/जीपीआरएस सुविधा का विवरण	
9.	अन्य अवसंरचना का विवरण	

10.	उन सर्वरों के स्थान का विवरण जहां डेटा संग्रहीत करने का प्रस्ताव है	
11.	पिछले तीन वर्षों में दाखिल रिटर्न का विवरण। (पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें)	
12.	लाईसेंस का विवरण : (क) लाईसेंस संख्या (ख) निलंबनों की संख्या, यदि कोई हो, तथा उसका ब्यौरा	
13.	भुगतान किये गये शुल्क का विवरण	रु.
14.	प्रतिभूति जमा का विवरण	

मैं इस प्रकार घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दी गई लाईसेंस को निरस्त किया जा सकता है, साथ ही मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई/कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैंने मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इसे और यहाँ उल्लिखित संदर्भित विधानों और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ।

स्थान:

तारीख:

आवेदकों के हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रपत्र III

[खंड 4.7 देखें]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अधीन एग्रीगेटर के लिए लाईसेंस

[] को मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाईसेंस दिया जाता है ।

1.	एग्रीगेटर का पूरा नाम	
2.	मुख्य कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों	
4.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट पता और ईमेल पता	
5.	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा/मोटर कैब/मोटर साइकिल या बस की संख्या (एग्रीगेटर द्वारा प्रपत्र I/II में संलग्न सूची के अनुसार, जो भी लागू हो)	
6.	एग्रीगेटर किस प्रकार कार्य करेगा इसका विवरण	
7.	भुगतान किये गये आवेदन शुल्क का विवरण	
8.	प्रतिभूति जमा का विवरण	

लाईसेंस धारी को मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 में निहित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

स्थान:

तारीख:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

